

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]

नई दिल्ली, शनिवार, फाल्गुनी 27, 1971/फ.लगुन 8, 1892

No. 28]

NEW DELHI, SATURDAY, FEBRUARY 27, 1971/PHALGUNA 8, 1892

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह खण्ड संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF FOREIGN TRADE

RESOLUTION

New Delhi, the 27th February 1971

No. F.2(12)Tex. (F)/67.—The Government of India, being of the opinion that an examination of the cost of production *vis-a-vis* the fair prices of Rayon Tyre yarn, cord fabric produced indigenously was necessary, requested the Tariff Commission to conduct an inquiry in July, 1968. The Commission on conclusion of the inquiry has now submitted its report. The main recommendations which are in respect of the determination of fair prices for rayon tyre yarn, cord and fabric, are as follows:—

- (1) A progressive lowering of fair ex-works selling prices (exclusive of excise duty) of Super II grade yarn from its present level to Rs. 14.00 per kg. in 1969 Rs. 13.00 per kg. in 1970 and Rs. 12.25 per kg. in 1971.
- (2) As regards prices of Super I grade, the differential method, rather than a cost plus method has been suggested. It is considered that some widening of the present market differential between the two grades would be justified. This, it is hoped, will not only attract the custom necessary for more uniform utilisation of capacity but provide more comparable margins of return as between the three units. Hence, the

prices which provide differentials of Rs. 2.50, Rs. 2.25 and Rs. 2.00 have been recommended. Thus the fair ex-factory selling prices (exclusive of excise duty) recommended are Rs. 11.50 per kg. for the year 1969, Rs. 10.75 for 1970 and Rs. 10.25 for 1971.

- (3) The tyre cord units produce both twisted cords and woven 'fabric' from the plain yarn produced in the spinning section of the factory for which a price has already been determined. With a view to fixing differentials for 'cord' and 'fabrics' over that of yarn, estimates were prepared based on the expenses in this section of the factory. None of the companies maintains adequate record to show the costs separately for 'cord' and 'fabrics'. This had, therefore, to be analysed technically. By far the major production related to 'fabric' and small quantities ranging from 2 to 5 per cent of the factory's production related to 'cord'. The differentials (after adjusting for "yarn coning") have been worked out as under:—

Period	Average for 'cord' and 'fabric' Rs./Kg.	Proposed differential over yarn price	
		Cord only	Fabric only
		Rs./Kg.	Rs./Kg.
1969	1.71	1.00	1.75
1970	1.46	0.85	1.50
1971	1.28	0.75	1.25

It would be adequate if the differentials indicated in cols. (3) and (4) are taken into account for purposes of fixing prices for the next three years. Including the above, the proposed exfactory selling prices are indicated below:—

Period	For Super II		For Super I	
	Cord	Fabric	Cord	Fabric
	Rs./Kg.	Rs./Kg.	Rs./Kg.	Rs./Kg.
1969	15.00	15.75	12.50	13.75
1970	13.85	14.50	11.60	12.25
1971	13.00	13.50	11.00	11.50

2. The recommendations of the Tariff Commission have been considered by the Government of India who have come to the conclusion that (i) a long term view of reasonable pricing was not possible because of the evident imponderables of the case such as the different return on capital and production programme, utilisation of capacity, etc., (ii) prices for a short period up to 31st December, 1971 only could be determined; and (iii) meanwhile demand/supply/market situation obtaining towards the beginning of the third quarter of 1971 should be analysed so as to secure fixation of prices for the period after 31st December, 1971.

3. Government of India have accordingly adopted the following prices up to 31st December, 1971 for rayon tyre cord/fabrics.

Prices for Rayon Tyre Cord/Fabrics Ex-Works exclusive of Excise Duty

	Rupees per Kg.		
	Yarn	Cord	Fabrics
Super II Materials	12.25	13.00	13.50
Super I Materials	10.25	11.00	11.50

4. Rayon tyre cord materials constitute 40 per cent of the cost of tyres and therefore the reduction in the prices of these materials should be reflected in the prices of tyres. Government will take steps to ensure that the benefit of the reduction in the cost of tyres reaches the ultimate consumer.

5. The Commission has also made the following other recommendations of a general nature some of which are of complementary character in relation to the recommendations for price levels:—

- (1) Periodic factual examination of the installed capacities of the units should be taken in hand either by the DGTD or some other competent agency, particularly because erroneous assumptions regarding under utilisation of installed capacity tend to vitiate the determination of actual cost of the final product.
- (2) As capacities for production of nylon are progressively being installed in the country no fresh licence should be granted for expansion of capacity of rayon tyre cord. So also the capacities of the three manufacturers should at least, for the time being, be frozen at their present installed levels.
- (3) The need for following a co-ordinated policy of expansion of tyre cord capacity whether in the form of cotton, rayon or nylon may be brought to the notice of all concerned. This holds good in respect of imports also.
- (4) There appears to be little immediate prospect of any radical change in tyre design being introduced in the country; but the favourable long term outlook for rayon tyre cord in the event of such a change should not be completely discounted. In this context a more intensive techno-economic, study of this in the not too distant future by an appropriate authority is suggested.
- (5) More vigorous efforts require to be made by the manufactures towards the exports of rayon tyre cord. If some Governmental assistance becomes essential to stimulate the process, the same is commended for the Government's consideration.
- (6) The Railway Board and M/s. Tata Power Company may look into the difficulties expressed by the tyre cord manufacturers in regard to allotment of wagons and power facilities respectively with a view to ensuring uninterrupted production of rayon tyre cord.
- (7) Steps should be taken to reduce procedural delays to the minimum in the issue of import licences for raw materials.

These have also been considered and Government have accepted them in principle.

6. Order that a copy of this Resolution be communicated to all concerned and that it be published in the Gazette of India.

B. D. KUMAR, Jt. Secy.

विदेशी व्यापार मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 27 फरवरी, 1971

सं० 2(12)—टैक्स(एफ)/69.—भारत सरकार ने, इस विचार से कि स्वदेश में उत्पादित रेयन टायर धागे कोड की उचित कीमतों की तुलना में उत्पादन लागत की जांच आवश्यक है, जुलाई, 1968 में टैरिफ आयोग से जांच करने के लिये अनुरोध किया था। आयोग ने जांच पूरी कर के अब अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है। मुख्य सिफारिशों, जो रेयन टायर धागे, कोर्ड तथा फैब्रिक की उचित कीमतों के निर्धारण के सम्बन्ध में हैं, निम्नलिखित हैं :

- (1) सुपर 2 ग्रेड धागे की उचित कारखाना बिक्री कीमतों (उत्पादन शुल्क अतिरिक्त) को वर्तमान स्तर से उत्तरोत्तर कम करते हुए वर्ष 1969 में 14.00 रु० प्रति किलोग्राम, वर्ष 1970 में 13.00 रु० प्रति किलोग्राम और वर्ष 1971 में 12.25 रु० प्रति किलोग्राम करना।
- (2) जहां तक सुपर 1 ग्रेड की कीमतों का सम्बन्ध है, लागत में जमा करने की पद्धति के स्थान पर अवकल पद्धति का मुद्दा दिया जाता है। ऐसा विचार है कि दोनों ग्रेडों के बीच वर्तमान बाजार अवकल को और अधिक करना युक्तिसंगत होगा। आशा है कि इससे न केवल क्षमता के अधिक एक समय उपयोग के लिये आवश्यक ग्राहक प्राप्त होंगे अपितु तीनों इकाइयों के बीच अपेक्षाकृत अधिक लाभ की भी गुंजाइश होगी। अतः ऐसी कीमतों की सिफारिश की गई है जिनमें 2.50 रु०, 2.25 रु० तथा 2.00 रु० के अवकल की व्यवस्था है। अतः निम्नोक्त उचित कारखाना बिक्री कीमतों (उत्पादन शुल्क अतिरिक्त) की सिफारिश की गई : वर्ष 1969 के लिये 11.50 रु० प्रति किलोग्राम, वर्ष 1970 के लिये 10.75 रु० प्रति किलोग्राम तथा वर्ष 1971 के लिये 10.25 रु०।
- (3) टायर कोर्ड एकक सादे धागे से, जिसका उत्पादन फैक्टरी के कताई विभाग में होता है, जिसकी कीमतें पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं, बटे हुए कोर्ड तथा बुने हुए 'फैब्रिक' का उत्पादन करते हैं। धागे की तुलना में कोर्ड तथा फैब्रिक के अवकल निर्धारित करने की दृष्टि से प्राक्कलन तैयार किये गये जो फैक्टरी के इस विभाग के खर्चों पर आधारित थे। कोई भी समवाय कोर्ड अथवा फैब्रिक की अलग अलग लागत दिखाने के लिये समुचित रिकार्ड नहीं रखता। अतः इसका विश्लेषण तकनीकी रूप से करना पड़ा। अधिकांशतः प्रधान उत्पादन फैब्रिक से सम्बन्धित है और फैक्टरी के उत्पादन की लघु मात्रा 2%।

से लेकर 5 प्रतिशत तक 'कोर्ड' से सम्बन्धित है। अवकलों का आकलन (यार्न कोनिंग हेतु समायोजन के पश्चात्) निम्नलिखित प्रकार से किया गया है :

अवधि	कोर्ड तथा फैब्रिक हेतु औसत	धागे की कीमतों पर प्रस्तावित अवकल	
		केवल कोर्ड	केवल फैब्रिक
		रु०/किग्रा	रु०/किग्रा
1969 . . .	1.71	1.00	1.75
1970 . . .	1.46	0.85	1.50
1971 . . .	1.28	0.75	1.25

यदि आगामी तीन वर्षों के लिये कीमतें निर्धारित करने के प्रयोजनार्थ कालम (3) तथा (4) में दिये गये अवकल ध्यान में रखे जायें तो पर्याप्त होगा। उपरोक्त को शामिल करके, प्रस्तावित कारखाना बिस्त्री कीमतें नीचे दी गई हैं :

अवधि	सुपर 2 हेतु		सुपर 1 हेतु	
	कोर्ड	फैब्रिक	कोर्ड	फैब्रिक
	रु०/किग्रा		रु०/किग्रा	
1969 . . .	15.00	15.75	12.50	13.25
1970 . . .	13.85	14.50	11.60	12.25
1971 . . .	13.00	13.50	11.00	11.50

2. टैरिफ आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने विचार किया और वह इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि (1) पूँजी पर भिन्न लाभ तथा उत्पादन कार्यक्रम, क्षमता का उपयोग आदि जैसे इस मामले के स्पष्टतः अकल्पनीय तत्वों के कारण दीर्घावधि दृष्टिकोण से ममीचीन कीमतें निर्धारित करना सम्भव नहीं है, (2) केवल 31-12-71 तक की लघु अवधि के लिये कीमतें निर्धारित की जा सकती हैं; और (3) इस बीच वर्ष 1971 की तीसरी तिमाही की शुरूआत में विद्यमान मांग/पूर्ति/बाजार स्थिति का विश्लेषण कर लिया जाना चाहिये ताकि 31-12-1971 के बाढ़ की अवधि के लिये कीमतों का निर्धारण किया जा सके।

3. तदनुसार भारत सरकार ने रेयन टायर कोर्ड/फैब्रिक के लिये 31-12-71 तक के लिये निम्नलिखित कीमतें स्वीकार कर ली हैं :

रेयन टायर कोर्ड फैब्रिक की कारखाना कीमतें, उत्पादन शुल्क अतिरिक्त

	रु० प्रति किग्रा		
	घागा	कोर्ड	फैब्रिक
सुपर 2 माल	12.25	13.00	13.50
सुपर 1 माल	10.25	11.00	11.50

4. रेयन टायर कोर्ड माल की लागत टायर की लागत का 40 प्रतिशत ठहरती है और इस लिये इस माल की कीमतों में गिरावट टायरों की कीमतों में प्रतिबिम्बित होनी चाहिये। सरकार यह सुनिश्चिा करने के लिये कदम उठायेगी कि टायरों की लागत में कमी का लाभ अन्तिम उपभोक्ता तक पहुंचे।

5. आयोग ने सामान्य स्वरूप की निम्नलिखित कतिपय अन्य सिफारिशें भी की हैं जिन में से कुछ का स्वरूप कीमत स्तरों से सम्बन्धित सिफारिशों का पूरक है :

- (1) एककों का स्थापित क्षमता का आवश्यक तथ्यपूर्ण परीक्षण या तो पूर्ति तथा निबटान महानिदेशालय या किसी अन्य सक्षम अभिकरण द्वारा आरम्भ किया जाना चाहिये विशेष रूप से इस लिये कि उपयोग की जा रही स्थापित क्षमता के सम्बन्ध में गलत धारणा के कारण अन्तिम उत्पाद की वास्तविक लागत के निर्धारण में दोष आने की सम्भावना रहती है।
- (2) क्योंकि, अब नाइलन के उत्पादन के लिये क्षमताएं देश में उत्तरोत्तर स्थापित होती जा रही हैं इस लिये रेयन टायर कोर्ड की समता को बढ़ाने के लिये कोई नया लाइसेंस नहीं दिया जाना चाहिए। और भी कि तीन उत्पादकों की क्षमताओं को, कम से कम, कुछ समय के लिये, उनके वर्तमान स्थापित स्तरों पर स्थिर कर दिया जाना चाहिए।
- (3) टायर कोर्ड क्षमता के, चाहे वह सूती, रेयन अथवा नाइलन के रूप में हों, विस्तार को एक समन्वित नीति का अनुसरण करने की आवश्यकता की ओर सभी सम्बद्ध व्यक्तियों का ध्यान दिलाया जाए। यह बात आयातों के सम्बन्ध में भी लागू है।
- (4) देश में इस समय प्रचलित किये जा रहे टायर डिजाइन में किसी बड़े परिवर्तन की ह्रास ही में कोई सम्भावना नहीं है परन्तु रेयन टायर कोर्ड के अनुकूल दीर्घावधि रख में यदि कोई ऐसा परिवर्तन हो तो उसकी सम्भावना की पूर्णतः उपेक्षा नहीं की जानी चाहिए। इस सन्दर्भ में निकट भविष्य में ही एक उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा इसके अधिक गहन तकनीकी आर्थिक अध्ययन करवाये जाने का सुझाव दिया जाता है।

- (5) रेयन टायर कोर्ड के निर्यातों के लिये विनिर्माताओं द्वारा और सशक्त प्रयास करने की आवश्यकता है। यदि इस प्रक्रिया को त्वरित करने के लिये किसी प्रकार की सरकारी सहायता आवश्यक हो जाती है तो सरकार के विचारार्थ उसकी भी सिफारिश की जाती है।
- (6) रेल बोर्ड तथा मेसर्स टाटा पावर कम्पनी, क्रमशः बैंगनों के आबंटन तथा बिजली सम्बन्धी सुविधाओं के सम्बन्ध में टायर कोर्ड विनिर्माताओं द्वारा बताई गई समस्याओं पर ध्यान दें ताकि रेयन टायर कोर्ड का सतत् उत्पादन सुनिश्चित हो सके।
- (7) कच्चे माल के आयात लाइसेंस देने में होने वाले क्रियाविधि सम्बन्धी विलम्ब को कम से कम करने के लिये उपाय किये जाने चाहिए।

इन पर भी विचार किया गया है और सरकार ने उन्हें सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है।

6 आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की एक एक प्रति सभी सम्बद्ध व्यक्तियों को भेजी जायें और इसे भारत क राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

बी० डी० कुमार, संयुक्त सचिव।

